अनुबंध III.1
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किए गए पहल - 2008-09 (जुलाई-जून)

- बैंकों द्वारा भौतिक आस्तियों के पुनर्मूल्यन के संबंध में, बीएफएस ने यह राय प्रकट की कि बैंकों के लिए यह उचित नहीं होगा कि वे अपनी परिचालनगत आस्तियों, यथा भवन जहां से बैंक कार्य कर रहा था/व्यवसाय कर रहा था, का पुनर्मूल्यन करें तथा आरक्षित निधियों में कल्पित मूल्यवृद्धि को शामिल करें जैसे कि बैंक ने वस्तुतः उस संपत्ति को बेच दिया हो। इस संदर्भ में बैंकों द्वारा *बिक्री तथा वापसी लीज़* के मुद्दे पर चर्चा की गयी, जिसमें एक पक्षकार संपत्ति को खरीदार को बेचता है तथा खरीदने वाला तत्काल उस संपत्ति को वापस विक्रेता को लीज पर दे देता है, तथा बीएफएस ने यह निदेश दिया कि बैंकों द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं / समूह की संस्थाओं और / अथवा बैंक द्वारा बनाए गये एसपीवी को संपत्ति बेचे जाने के प्रस्ताव पर संपत्ति को बाद में वापस लीज पर लिए जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

- वैश्विक वित्तीय संकट पृष्ठिभूमि में, बीएफएस ने वैश्विक बाजारों से उभरते संकेतों तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र पर उसके परिणामी प्रभावों पर कड़ी निगरानी रखी। एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, बीएफएस अब ऋण डेरिवेटिवों तथा भारत में बैंकों के विदेशी परिचालनों के अन्य निवेश संविभाग में बाजार भाव पर दर्शाई गई हानियों पर मासिक आधार पर निगरानी रख रहा है। इस संदर्भ में, बीएफएस भारत में वाणिज्य बैंकों के ऋण संविभाग के तनाव परीक्षण के परिणाम पर भी निगरानी रख रहा है ताकि मार्च 2008 के अंत में, विभिन्न तनावपूर्ण परिदृश्यों के तहत बैंकों की आघात-सहनीयता का आकलन किया जा सके, जिससे यह प्रकट हुआ कि प्रणाली स्तर पर किसी भी परिदृश्य में सीआरएआर निर्धारित न्यूनतम स्तर के नीचे नहीं गिरा। यह भी देखा गया कि कुछ अलग-अलग बैंकों का सीआरएआर अपेक्षित न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाने पर भी, प्रणालीगत प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा।

- विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों के संबंध में मीडिया में उभरती चिंताओं को देखते हुए, बीएफएस ने यह निदेश दिया कि एक्सपोजर के ऊपरी छोर वाले कुछ चुनिंदा बैंकों के बारे में संरचित फार्मेट में ब्यौरेवार जानकारी मंगाई जाए। विदेशी बैंकों सहित कुछ बैंकों के अध्यक्षों / सीईओ के साथ हुई कई बैठकों में इन उत्पादों के बारे में 'उपयुक्तता तथा औचित्यट के सिद्धांतों, कंपनियों की जोखिम प्रबंधन नीतियों तथा बैंकों द्वारा लागत में कटौती के लिए शुरू किये गये उपायों के संदर्भ में चर्चा की गयी तथा इस मामले में रिज़र्व बैंक की चिंता से उन्हें अवगत करा दिया गया। इन चर्चाओं के आधार पर बीएफएस के सामने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

- बैंक द्वारा सहायक संस्था के माध्यम से ऐसे कार्यकलाप करने, जिनकी अनुमति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत बैंकों को नहीं दी गयी है, संबंधी मुद्दे की जांच करते हुए बीएफएस ने निर्णय लिया कि जो कार्यकलाप बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार स्वयं करने के लिए बैंकों को अनुमति नहीं है, उसे उन संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा सकता जिनमें बैंक की महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी है।

- जहां तक आउटसोर्सिंग व्यवस्था का संबंध था, बीएफएस ने तीसरे पक्षकार के सेवा प्रदाताओं के साथ बैंकों द्वारा हस्ताक्षरित आउटसोर्सिंग संबंधी संविदाओं में एक उचित प्रलेखन प्रक्रिया / उचित प्रलेख परिरक्षण खंड की उपलब्धता पर विशेष बल दिया। बोर्ड ने इस बात पर भी बल दिया कि रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है यदि रिकार्ड उचित हों तथा प्रलेखीकरण पूर्ण हो। प्रलेखों तथा रिकार्डों के अभाव में बैंक तथा आउटसोर्सिंग वाली एजेंसी के कानूनी अधिकारों तथा उनकी जिम्मेदारी को और संविदा की प्रवर्तनीयता तक को निर्धारित करना कठिन हो जाता है। बोर्ड ने निदेश दिया कि (i) आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देशों में आउटसोर्सिंग संविदाओं के बारे में प्रवर्तनीयता संबंधी अपेक्षा पर स्पष्ट रूप से बल दिया जाना चाहिए तथा संविदा में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि आउटसोर्सिंग संबंधी सभी प्रलेख रिज़र्व बैंक तथा बैंक के आंतरिक निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और (ii) बैंकों के आंतरिक लेखा-परीक्षकों

के लिए आउटसोर्सिंग ऐजेंटों / एजेंसियों की लेखा-परीक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए तथा (iii) इस संबंध में, एक पुष्टि रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाणपत्र बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए। बीएफएस के निदेशों के आधार पर, बैंकों द्वारा पुष्टि रिपोर्ट और अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में विनियामक अंतरों को भरने हेतु सभी वाणिज्य बैंकों को एक परिपत्र जारी किया गया।

- वाणिज्य बैंकों में मौजूद खुदरा ऋण संबंधी प्रथाओं की ओर बीएफएस ने ध्यान दिया। बीएफएस को बताया गया खुदरा ऋण कारोबार की प्रथाओं में तेजी आई तथा वे इस संबंध में परंपरागत बैंकिंग प्रथाओं से काफी अलग हैं। इस संबंध में, बीएफएस ने यह निर्णय लिया कि जहां बैंकों को इस संबंध में सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, यह आवश्यक है कि इन मॉडलों की सुदृढ़ता, समर्थता और कारगरता की जांच की जाए। इन पद्धतियों, विनियोजित मान्यताओं, सैम्पलिंग तकनीकों सहित प्रयुक्त नमूनों की जांच करने की जरू रत है। यह भी सत्यापित किया जाना चाहिए कि इन तकनीकों / मॉडलों के तहत की गयी प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं कम-से-कम अलग खाता मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत की गयी अपेक्षाओं के बराबर हों, क्योंकि प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा के आकलन में किसी तरह की कमी स्वीकार नहीं की जा सकती। यह भी महसूस किया गया कि पेशेवरों की नियुक्ति सहित बैंक में परिमाणात्मक योग्यता का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक हो रहा था क्योंकि बासेल II के तहत उन्नत पद्धतियों के संदर्भ में मॉडलों का उपयोग बढ़ेगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि एक अंतर-विभागीय दल मूल्यांकन का कार्य करेगा।
- बैंकों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के आधार पर नोस्ट्रो खातों के समाधान में की गई प्रगति के संदर्भ में, बीएफएस ने अन्य बातों के साथ-साथ लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित को अंतरित करने की अनुमति बैंकों को देने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया (i) 1 अप्रैल 1996 से पहले की अवधि से संबंधित प्रविष्टियों को घटाकर मौजूद शेष राशि (ii) नोस्ट्रो तथा '2500 अमरीकी डालर से कम' कम के नमूना (मिरर) खातों में समाधान न की गयी अलग-अलग जमा प्रविष्टियों जो 1 अप्रैल 1996 तथा 31 मार्च 2002 के बीच उत्पन्न हुईं तथा निरु द्ध खाते में रखी गयीं, का योग।
- बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मुद्दे पर, विशेष तौर पर बैंकों द्वारा अनुसरण की जा रही ऐसी प्रक्रियाओं में पायी गयी कमियों के संदर्भ में, बीएफएस ने निर्णय लिया कि बैंकों को इस बात की जानकारी दी जाए कि अक्तूबर 2007 में जारी किए गए वर्तमान परिपत्र में सिर्फ ऐसे स्थूल सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिनका अनुपालन समझौता निपटान करते समय बैंकों द्वारा किया जाना है। बैंक परिस्थितियों, प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर समझौता निपटान करना जारी रख सकते हैं तथा उन्हें लिए गए निर्णय को उचित साबित करने में समर्थ होना चाहिए।
- बैंकों के विलय के संदर्भ में, बीएफएस की राय यह थी कि विलय की गयी संस्था के गौण ऋण को उसी तरह पुनः जारी किया जाना चाहिए जिस प्रकार इक्विटी को पुनः जारी किया जाता है। इसने इस प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया कि भारतीय संदर्भ में ऐच्छिक विलय/अनिवार्य विलय तथा अभिग्रहण के सभी मामलों में, विलय/समामेलन की योजना में टियर I तथा टियर II लिखतों के प्रति स्वीकार्य देयता की मात्रा निर्धारित होगी। फलस्वरू प, इन लिखतों को दुबारा जारी करना पड़ सकता है।
- शाखा निरीक्षण के वर्तमान दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करते समय, बीएफएस ने वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के लिए शाखाओं के चयन हेतु वर्तमान मानदंडों को संशोधित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। अग्रिमों की न्यूनतम निर्धारित व्याप्ति सहित वर्तमान मानदंडों के अलावा, यह प्रस्ताव किया गया कि अतिरिक्त मानदंडों का एक मिश्रण निर्धारित किया जाए, यथा 'सामान्यतः उच्च कारोबारी वृद्धि वाली शाखाएं', 'प्रतिकूल आंतरिक रेटिंग वाली शाखाएं', 'एक अल्पावधि के भीतर सामान्यतः बड़ी संख्या में खाते खोलने वाली शाखाएं' तथा 'अग्रिमों की उल्लेखनीय शीघ्र मर्त्यता वाली शाखाएं'। अग्रिमों, केवाइसी/एएमएल के अनुपालन, सीटीआर/एसटीआर, तथा ग्राहक सेवा की पर्याप्तता की तुलना में आस्ति वर्गीकरण, अग्रिमों के संवितरणोत्तर पर्यवेक्षण पर अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही, यह भी प्रस्ताव है कि तुलनपत्र बाह्य कारोबार के तहत, बैंक द्वारा प्रस्तावित सभी प्रकार

के डेरिवेटिव उत्पादों की जांच कारोबार की मात्रा पर निर्भर रहते हुए वर्ष के दौरान तुलनपत्र बाह्य लेनदेनों के 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के दायरे के साथ नमूना आधार पर की जानी चाहिए। इन अतिरिक्त मानदंडों के फलस्वरू प शाखाओं की पहचान की गतिशील प्रक्रिया बनेगी जिससे निरीक्षण के लिए शाखाओं के बेहतर नमूने सामने आएंगे। प्रस्ताव का अनुमोदन बीएफएस द्वारा किया गया तथा आवश्यक अनुदेश सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी कर दिए गए हैं।

- हाल के सब-प्राइम संकट की पृष्ठभूमि में, बीएफएस ने वर्तमान संकट जैसे परिदृश्य में वैश्विक देयताओं के परिसमापन हेतु भारत में विदेशी बैंकों की आस्तियों के व्यवहार/की उपलब्धता पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। चक्रीय घेराबंदी (रिंग फेंसिंग), शाखाओं और सहायक संस्थाओं की चक्रीय घेराबंदी में अंतर, चक्रीय घेराबंदी की देशवार प्रथाओं तथा चक्रीय घेराबंदी के संबंध में भारतीय विधिक स्थिति संबंधी शैक्षणिक साहित्य तथा अंतरराष्ट्रीय विधिक स्थिति पर व्यापक चर्चा करने के बाद, बीएफएस ने यह निदेश दिया कि इस मामले में यथास्थिति बनायी रखी जाए तथा यह भी कि रिज़र्व बैंक इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों तथा मानकों के उभरने के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
- मूल बैंक के साथ समेकित किए जाने के लिए अपेक्षित समूह संस्थाओं (सहायक संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों) के बारे में व्याख्यात्मक मुद्दों पर विचार करते हुए, बीएफएस ने यह निदेश दिया कि बैंकों को एक अस्थायी अवधि के लिए अथवा अन्यथा सहायक संस्था, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम में निवेश करने के समय निवेश की धारिता के आशय को दर्ज करना चाहिए। ऐसे निवेश के समय बोर्ड द्वारा इस प्रकार का आशय दर्ज न किए जाने पर, समेकन के प्रयोजन के लिए उसे हिसाब में लिया जाएगा।
- पर्यवेक्षणात्मक रेटिंग मॉडल के लागू किए जाने के समय से उसे परिस्कृत करने पर बल देना जारी रखते हुए, बीएफएस ने रेटिंग मॉडल के अर्जन मूल्यांकन घटक के संशोधन को अनुमोदित किया तथा वर्तमान रेटिंग मॉडल के ञ्अर्जन मूल्यांकनट घटक में आरओई (इक्विटी पर प्रतिलाभ) को आबंटित अंक 60 से घटाकर 30 कर दिया और 30 अंकों के साथ आरओए (आस्तियों पर प्रतिलाभ) नामक मानदंड को दुबारा लागू किया। वर्तमान अंकों के साथ अन्य सभी मानदंडों को भी बनाए रखा गया है। बीएफएस ने यह भी निदेश दिया कि 2009-10 के निरीक्षण चक्र से संशोधित मॉडल का कार्यान्वयन किया जाए।